

पत्रावली पेश हुई

6-11-2019

वसील वादी उज्ज्वल

पुनः मेल लक्षण सुने हुए लम्बे समय व्यतीत होने

सुपुनः सुनी गड़ी हमने पत्रावली का इन्फोर्मेशन

मिमा वाद पत्र के शिर्षक में प्रतिवादी 18,

20, 21, 34, 35 के आगे जोत इत्यादि वादी

फोतेदगी रिपोर्ट पेश करे। वादी वकील ने

एक प्रार्थना पत्र 151 CP का पेश किया

निकेतन किमा कि उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में

में तामील बुद्धि की रिपोर्ट में फोतेदगी रिपोर्ट

का अंकन नहीं है न ही अखबार छापा होने

के एक माह बाद भी ऐसी कोई रिपोर्ट

प्राप्त नहीं हुई। P/D पालना की रिपोर्ट

व पलवारी हल्ला द्वारा किसी भी काश्तकार

की जोत नहीं दर्शाया गया है वकील वादी

ने निकेतन किमा कि प्रतिवादी उज्ज्वल की

एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में ही गड़बड़

अतः प्राथमिक डिमी की पालना के अनुसार

वाद का निरन्तरण किमा जादे। प्रार्थना

पत्र के निर्णय हेतु कि 13/11/2019 को

पेश हुई।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (माली)

13/11/2019

पञ्जावली पेडाडल
वकील वादी उपल

वकील वादी का 170 9 1-10-1970 पञा की अपलोक
 किया गया। एक पञावली की अपलोक
 किया गया। जिसे 'एसी कोड' कोटेदगी
 रिपोर्ट नहीं थी फल: वादी का आवेदन पत्र
 स्वीकार कर यदि के निर्माण प्रायिक
 डिक्लीपालन रिपोर्ट अनुसार वादी का वाड
 स्वीकार किया जाकर डिक्ली किया जाना है
 वाड का निर्माण एक डिक्ली अलग से लिखा
 जाकर शान्ति पञावली किया गया।
 निर्माण रुले न्यायालय में सुनाया गया।
 पञा निर्माण की पालनाय तहसीलदार रायपुर
 को लदरी जारी हो पञावली को लशुभार
 होकर 5जी नम्बर से कम हो।

उपसण्ड अधिकारी
 रायपुर (पाली)

32/19
 3/11/19

